वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांकः पू0वि0वि0 / डी0एस0डब्ल्यू / 1075 / 2024–25 **अति आवश्यक / समयबद्ध** दिनांक : 05.07.2024

प्रेषक,

अधिष्ठाता छात्र कल्याण
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय
जौनपुर।

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या
सम्बद्ध महाविद्यालय, जनपद जौनपुर
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

विषयः—अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / सामान्य वर्ग के दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्र / छात्राओं द्वारा आवेदन करते समय अपने माता—पिता या पति अथवा संरक्षक के नाम का आय प्रमाण—पत्र संलग्न किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक जिला समाज कल्याण अधिकारी, जौनपुर के पत्र संख्याः स0क0 / छात्रवृत्ति योजना / 2024—25 दिनांक 05.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / सामान्य वर्ग के दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्र / छात्राओं द्वारा आवेदन करते समय अपने माता—पिता या पति अथवा संरक्षक के नाम का आय प्रमाण—पत्र संलग्न किये जाने के सम्बन्ध में है। छात्रवृत्ति की नियमावली—2023 के बिन्दु—08 (i) में यह व्यवस्था की गयी है कि छात्रवृत्ति की योजना का लाभ पाने हेतु छात्र / छात्राओं द्वारा अपने माता—पिता या पति या संरक्षक के नाम से निर्गत आय प्रमाण—पत्र का प्रयोग किया जाना है परन्तु अधिकांश छात्रों द्वारा अपने नाम से आय प्रमाण—पत्र निर्गत कराकर योजना से लाभ प्राप्त करने हेतु छात्रवृत्ति आवेदन फार्म में संलग्न कर प्रयोग कर रहे हैं। यह शासनादेश के प्रतिकूल है। आप अपने महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रवृत्ति आवेदन फार्म भरने वाले छात्र / छात्राओं को अपने माता—पिता या पति अथवा संरक्षक के नाम का आय प्रमाण—पत्र बनवाकर छात्रवृत्ति आवेदन फार्म में संलग्न किया जाना है की सूचना से अवगत कराना सुनिश्चित करें। जो छात्र / छात्रा अपने नाम से आय प्रमाण—पत्र बनवाकर छात्रवृत्ति आवेदन फार्म पूरित करता है ऐसे आवेदन फार्म को संस्था स्तर से निरस्त किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2024—25 में किसी महाविद्यालय द्वारा ऐसे छात्रवृत्ति आवेदन फार्म आनलाईन अग्रसारित किये जाते हैं तो, महाविद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा।

उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि संलग्न पत्र के अनुरूप आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

Adwinj
05/07/24
(प्रो0 अजय द्विवेदी)
अधिष्ठाता छात्र कल्याण

प्रतिलिपिः—

1—जिला समाज कल्याण अधिकारी जौनपुर के सूचनार्थ।
2—निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
3—निजी सहायक कुलसचिव, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
4—उप कुलसचिव छात्रवृत्ति के सूचनार्थ।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण